राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 386/2011/भरतपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,भरतपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स
नदवई,भरतपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री एन. के. बैद
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री विनय कुमार गोयल
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 04.07.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 139/उपा–अपील्स/2009–10 में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा84 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 100 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है,जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 16,230/– व अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 5000/– कुल रू. 21230/–को अपास्त किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 1997–98 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.03.2000 को पारित करते हुए मांग सृजित की गई थी, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होने आदेश दिनांक 31.10.2002 को अपील स्वीकार कर प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में आदेश दिनांक 24.08.2004 पारित कर मांग सृजित की गई । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 16,230/– व अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 5000/– कुल रू. 21230/– को अपास्त कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई है। उक्त आरोपित शास्ति को विभाग द्वारा इस अपील में विवादित किया गया है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 16,230/– व अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 5000/– कुल रू. 21230/– को इस आधार पर अपास्त किया गया है कि उक्त शास्तियॉ आरोपित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, जो अविधिक है, क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए शास्तियों को अपास्त किया है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनियम की धारा 61 एवं 62 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने से पूर्व विशिष्ठ नोटिस जारी करना चाहिए था, जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलीय अधिकारी ने धारा 61 एवं 62 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है,जो पूर्णतया उचित है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय स्तर पर उद्धृत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी । उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया, साथ ही बहस के दौरान उद्धृत न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया गया। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 16,230/– व अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 5000/– कुल रू. 21230/– आरोपित शास्तियों को इस आधार पर अपास्त किया है कि अधिनियम की धारा 61 एवं 62 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने से पूर्व विशिष्ठ नोटिस जारी करना चाहिए था, जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 एवं 62 के अन्तर्गत शास्तियॉ आरोपित करने से पूर्व विशिष्ठ नोटिस जारी नहीं किया है।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने राजस्थान कर बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स, जयपुर बनाम मैसर्स कृष्णा एण्टरप्राईजेज,उदयपुर(23 टेक्व अपडेट 47) में पारित निर्णय का हवाला दिया है,जिसमें यह मत प्रतिपादित किया गया है कि आदेश पारित करने से पूर्व विशिष्ट नोटिस जारी नहीं करने पर शास्ति आरोपण पूर्णतया अविधिक है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त न्यायिक दृष्टान्त के अनुसरण में

अधिनियम की धारा 61 एवं 62 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है,जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य